2.1. समिति द्वारा दिनांक14.10.2022 से 12.09.2024तक ईवी सब्सिडी पोर्टल के अंतर्गतक्रय सब्सिडी संवितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। तद्नुसार यह स्पष्ट हुआ कि कुल 21,981 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8,038 आवेदनों को परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है एवं13,943 आवेदन पोर्टल पर लंबित हैं। परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित आवेदनों की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई गई।

2.2. समिति द्वारा यह समीक्षा की गई कि परिवहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ईवीएमएम नीति-2022 के अंतर्गत क्रय सब्सिडी आवेदन प्रक्रमण की प्रक्रिया में उत्पन्न हुई अस्पष्टताओं के सापेक्ष उद्योग विभाग से पत्र संख्या 168/BS/P.A./2025दिनांक 27 मार्च,2025 के माध्यम से स्पष्टीकरणअपेक्षित किया गया है, जिनमें निम्नलिखित प्रकरणसम्मिलित हैं -

1. क्रेता श्रेणियों का वर्गीकरण
2. अर्हता प्रलेखनअपेक्षाएं
3. स्ट्रांग हाइब्रिड एवं प्लग इन हाइब्रिड ईवी-हेतु सब्सिडी संवितरण की प्रभावी तिथि

2.3. समिति द्वारा यह समीक्षा की गई कि नीति के प्रस्तर 4.2(1) के अंतर्गत परिभाषित क्रेताओं हेतु प्रस्तर 4.3(2) के अंतर्गत क्रय सब्सिडी को परिभाषित करती है जिसमें *उन समस्तक्रेताओं को सम्मिलित किया गया है जो किसी भी प्रकार की ईवी को क्रय एवं पंजीकरण करने हेतु पात्र हैं, जो भारत सरकार की फेम II योजना में निर्धारित प्रदर्शन एवं दक्षता के समान विशिष्टताओं को पूर्ण करते हैं एवं यह भी उल्लेख किया गया है कि क्रेताओं में व्यक्तिगत वाहन क्रेताअथवा एग्रीगेटर्स)उदाहरणार्थ फूड डिलीवरी, ईकॉमर्स-लॉजिस्टिक्स प्रदाता, कूरियर (अथवाफ्लीट ऑपरेटर जिसमें लीजिंग कंपनियाँ), कॉर्पोरेट्स होटल्स/अन्य ऑपरेटर/सहित भी (सम्मिलित होंगे।* परिवहन विभाग द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण के संदर्भ में, समिति द्वारा यह अवलोकित किया गया किक्रेताओं की परिभाषा के विवरण को परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 14 जुलाई,2023 को निर्गत शासनादेश संख्या 92/2023/2014/30-3-2023 के अंतर्गत क्रय सब्सिडी के कार्यान्वयन हेतु प्रख्यापित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

2.4. यद्यपि, समिति द्वारा समीक्षा की गई एवं नीति में क्रय सब्सिडी के सुगम कार्यान्वयन हेतुईवीएमएम-नीति 2022 के प्रस्तर4.2 में क्रेताओं की परिभाषा में संशोधन की संस्तुति की गई है, जिससे एग्रीगेटर्स, फ्लीट ऑपरेटरों तथा अन्य ऑपरेटरों की अपेक्षित परिभाषा को विस्तार से स्पष्ट किया जा सके, यह प्रतिबंध स्पष्ट करते हुए कि परिवहन विभाग पृथक रूप से एक विस्तृत चेकलिस्ट निर्गत करेगा, जिससे कार्यान्वयन में सुगमता आए एवं ऑडिट अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

HLEEVC की संस्तुति: समिति द्वारा ईवीएमएम नीति-2022 में निम्नलिखित संशोधन हेतु संस्तुति की गई है, इस प्रतिबंध के साथ कि परिवहन विभाग कार्यान्वयन में सुगमता एवं ऑडिट अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पृथक से एक विस्तृत चेकलिस्ट निर्गत करेगा -

विद्यमान प्राविधान	प्रस्तावित प्राविधान
उत्तर प्रदेश ईवीएमएम नीति-2022 के प्रस्तर4.2 के	उत्तर प्रदेश ईवीएमएम नीति-2022 के प्रस्तर 4.2 के अनुसार, क्रेताओं में व्यक्तिगत वाहन क्रेता, एग्रीगेटर (जैसे

अनुसार, क्रेताओं में व्यक्तिगत वाहन क्रेता, एग्रीगेटर (जैसे फूड डिलीवरी सेवाएं, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्रदाता एवं कोरियर कंपनियां) अथवाफ्लीट ऑपरेटर (लीजिंग कंपनियां, कॉर्पोरेट्स/होटल्स/"अन्य ऑपरेटर" सहित) सम्मिलित होंगे।	फूड डिलीवरी सेवाएं, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्रदाता एवं कोरियर कंपनियां) अथवा फ्लीट ऑपरेटर (लीजिंग कंपनियां, कॉर्पोरेट्स/होटल्स/"अन्य ऑपरेटर" सहित) सम्मिलित होंगे। यहाँ, "अन्य ऑपरेटर" में कॉर्पोरेट्स, शैक्षणिक संस्थान, फर्म, संस्थाएंएवं सार्वजनिक वा निजी कंपनियां अपने आंतरिक उपयोग हेतु सम्मिलित हो सकती हैं, अन्य सुसंगत ऑपरेटर सहित। *एग्रीगेटरवे संस्थाए : जो परिवहन सेवाओं जैसे राइड-) शेयरिंगअथवा डिलीवरी सेवाएंकी बुकिंग (, निर्धारण एवं प्रबंधन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित करती हैं, जो संबंधित शासनिक प्राधिकरणों)एमसीए, जीएसटी, आदिके (अंतर्गत पंजीकृत हैं एवं जिन्हें वाहन फ्लीट का प्रबंधन अथवा स्वामित्व धारण है।* - *फ्लीट ऑपरेटर:कंपनिया :अथवा व्यक्ति जो एकल स्वामित्व अथवा लीज़ अनुबंध के अंतर्गत यात्री अथवा माल परिवहन हेतु वाहनों कीफ्लीट संचालित करते हैं एवं जो अनुमन्य परिवहन एवं कर कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत हों।* - *अन्य ऑपरेटर : इसके अंतर्गत निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाएं, सरकारी विभाग, स्टार्टअप्स अथवा व्यक्ति सम्मिलित हैं जो परिचालन अथवा व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करते हैं, परंतु जो उपरोक्त दो श्रेणियों के अधीन नहीं हैं। इस श्रेणी में व्यक्तिगत गैर-व्यावसायिक उपयोग कोसम्मिलित नहीं किया जाएगा।*

इसके अतिरिक्त क्रय सब्सिडी को क्रियान्वित करने हेतु समिति द्वारा परिवहन विभाग द्वारा अपनी मानक प्रचालन प्रक्रिया में अपेक्षित प्रलेखों की एक सुझावात्मक सूची सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की है:

अर्हता हेतु अनिवार्य प्रलेख	पात्रता हेतु सांकेतिक प्रलेखों की चेकलिस्ट
• ईवी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) • जीएसटी पंजीकरण: 7. ऑपरेटर के पास बसों एवंकोच की रेंटल सेवाएँ 8. टूर ऑपरेटर सेवाएं 9. निर्धारित स्थानीय बस एवं कोच चार्टर सेवाएं	• व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र (उद्यम/एमएसएमई) • जीएसटी पंजीकरण (यदि अनुमन्य है) • वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)

10. अन्य यात्रा व्यवस्था एवं संबंधित सेवाएं, जो कहीं और वर्गीकृत नहीं हैं • कंपनी/फर्म निगमन प्रमाणपत्र • वाणिज्यिक उपयोग का प्रमाण (जैसे कि पट्टा अनुबंध, व्यवसाय पंजीकरण अथवापरिचालन प्रमाणपत्र)	• फेम-II अनुपालन प्रमाणपत्र (यदि अनुमन्य है) • व्यावसायिक उपयोग का प्रमाण (अनुबंध, परमिट, घोषणा, आदि) • पैनएवं आधार (व्यक्तियों/स्वामियों हेतु)

प्रकरण 3: नीति के अंतर्गत एसएचईवी तथा पीएचईवी हेतु क्रय सब्सिडी क्रियान्वित करने की प्रभावी तिथि की समीक्षा:

3.1. समिति के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि आदेश संख्या28/PS/IIDC/2024 दिनांक 11 जुलाई,2024 के माध्यम से, जिसमें ईवीएमएम नीति-2022 के अंतर्गतस्ट्रांग हाइब्रिड ईवी एवं प्लग-इन हाइब्रिड ईवी की क्रय सब्सिडी का विस्तार किया गया है, यद्यपि, ऐसे प्रोत्साहन की प्रभावी तिथि को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

3.2. समिति द्वारा उक्त अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वर्तमान तिथि तक बीईवी के सापेक्ष एसएचईवी तथा पीएचईवी के विक्रय संबंधी आंकड़ों की समीक्षा एवं विश्लेषण किया गया एवं यह अवलोकित किया गया कि राज्य में कुल 3,41,477 ईवी की बिक्री हुई है, जिसमें एसएचईवी एवं पीएचईवी मात्र 3% है, जबकि बीईवी 97% है, यद्यपि चार पहिया-ईवी की बिक्री 17669 है, जिसमें बीईवी 41% एवं एसएचईवीसी तथा पीएचईवी 59% है।

Number of Electric Vehicle Registered During 2024-25 Having Tax & Fees Rebate [Rs. In Lakh]											
		Electric Vehicle		Plug-In Hybrid EV		Strong Hybrid		Total			
Sl. No.	Class of Vehicles	Number of Vehicles	Tax Rebate	Number of Vehicles	Tax Rebate	Number of Vehicles	Tax Rebate	Number of Vehicles	Tax Rebate	Fees Rebate	Total Rebate
1	Two Wheelers	91195	10799.75					91195	10799.75	273.58	11073.33
2	Three Wheelers (Passenger)	209652	41623.32					209652	41623.32	1430.12	43053.44
3	Three Wheelers (Goods)	22615	1697.21					22615	1697.21	140.57	1837.78
4	Four Wheelers (Passenger)	7306	11667.76	18	472.39	10345	26011.8	17669	38151.95	106.89	38258.84
5	Goods Carrier	106	16.77					106	16.77	1.06	17.83
6	Bus	4	2.14					4	2.14	0.06	2.2
7	Construction Equipment Vehicle	236	4.8					236	4.8	2.36	7.16
		331114	65811.75	18	472.39	10345	26011.8	341477	92295.94	1954.64	94250.58

<u>HLEEVC की संस्तुति</u> : अधिसूचना के उपरांत चार पहिया-एसएचईवी एवं पीएचईवी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि के दृष्टिगत, समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि एसएचईवी एवं पीएचईवी हेतु क्रय सब्सिडी के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि आदेश प्रख्यापन की तिथि, अर्थात 11.07.2024 से समझी जाएगी, न कि नीति प्रख्यापन तिथि से।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally signed by
PEEYUSH VERMA
Date: 13-05-2025
14:30:35

(पीयूष वर्मा)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-930/77-6-2025/6099/100/2024/1870569
लखनऊ : दिनांक 13-05-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/न्याय/परिवहन/ऊर्जा/स्टाम्प एवं निबन्धन/नियोजन /एमएसएमई/वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रामध्यान रावत)
उप सचिव।

ई-मेल/महत्वपूर्ण

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:-2390सा०प्र०/ 2025-08टीआर/2018, लखनऊ : दिनाँक 18 अगस्त, 2025

समस्त पंजीयन अधिकारी/
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।

विषयः-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अंतर्गत एग्रीगेटर, फ्लीट ऑपरेटर तथा अन्य ऑपरेटर श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु अनुमन्य क्रय सब्सिडी के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण, नवाचार एवं स्थायी गतिशीलता के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को क्रय सब्सिडी दिए जाने हेतु परिवहन विभाग नोडल विभाग के रूप में नामित है। मुख्यालय के कार्यालय-आदेश संख्या-228/सा०प्र०/2025-08 टीआर/2018-22, दिनांक 19.02.2025 द्वारा इलेक्ट्रिक सब्सिडी वितरण व्यवस्था को विकेंद्रीयकृत किया गया है, जिसमें मात्र इलेक्ट्रिक बसों को क्रय सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था पूर्ववत मुख्यालय (परिवहन आयुक्त स्तर) पर ही रखी गई है।

उक्त नीति के प्रस्तर-4.2 के उप प्रस्तर (1) में परिभाषा के अन्तर्गत "क्रेता (Buyer)" का अभिप्राय ऐसे खरीदारों से है, जिन्होने प्रदेश में ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन क्रय अथवा पंजीकृत कराए हैं, जोकि FAME-II योजना के आदेश दिनांक 08 मार्च, 2019, एफ.नं. 1(1)/2019 एईआई की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2019 के संलग्नक II में निर्धारित विशिष्टताओं एवं दक्षता को पूर्ण करते हैं। क्रेता के अन्तर्गत व्यक्तिगत वाहन क्रेता या एग्रीग्रेटर्स (Aggregators) (यथाः फूड डिलेवरी, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्रदाता, कोरियर) या फ्लीट ऑपरेटर्स (यथाः लीजिंग कम्पनीस, कॉरपरेटस/ होटल/अन्य ऑपरेटर्स) सम्मिलित हैं।

नीति के प्रस्तर 4.2 में "क्रेता" शब्द में व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अतिरिक्त एग्रीगेटर, फ्लीट ऑपरेटर एवं अन्य ऑपरेटर को सम्मिलित किया गया है, किन्तु फील्ड कार्यालयों द्वारा क्रय सब्सिडी हेतु प्रेस्तुत किए गए आवेदनों की पात्रता संबंधी अस्पष्टता के कारण विधिक व प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी। इस संबंध में स्पष्टिकरण हेतु पत्रें संख्या-168वै0स0/प0आ0/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया गया। तदनुसार, दिनाँक 23.04.2025 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय अधिकृत ईवी समिति (HLEEVC) की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न श्रेणियों, पात्रता दस्तावेजों एवं हाइब्रिड वाहनों की सब्सिडी तिथि को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए, जो निम्नवत् हैः

शासन द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देशः

उत्तर प्रदेश ईवी नीति-2022 के प्रस्तर 4.2 के अनुसार, क्रेताओं में व्यक्तिगत वाहन क्रेता, एग्रीगेटर (जैसे फूड डिलीवरी सेवाएं, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्रदाता एवं कोरियर कंपनियां) अथवा फ्लीट ऑपरेटर (लीजिंग, कंपनियां, कॉर्पोरेट्स/होटल्स/अन्य ऑपरेटर" सहित) सम्मिलित होंगे।

एग्रीगेटर संस्थाएं- परिवहन सेवाओं जैसे राइड-शेयरिंग अथवा डिलीवरी सेवाओं की बुकिंग (निर्धारण एवं प्रबंधन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित करती हैं, जो संबंधित शासनिक प्राधिकरणों) एमसीए, जीएसटी, आदि के अंतर्गत पंजीकृत हैं एवं जिन्हें वाहन फ्लीट का प्रबंधन अथवा स्वामित्व धारण है।

फ्लीट ऑपरेटर- कंपनियों अथवा व्यक्ति जो एकल स्वामित्व अथवा लीज अनुबंध के अंतर्गत यात्री अथवा माल परिवहन हेतु वाहनों की फ्लीट संचालित करते हैं एवं जो अनुमन्य परिवहन एवं कर कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत हो।

अन्य ऑपरेटर- इसके अंतर्गत निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाएं, सरकारी विभाग, स्टार्टप्स अथवा व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो परिचालन अथवा व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करते हैं, परंतु जो उपरोक्त दो श्रेणियों के अधीन नहीं हैं। इस श्रेणी में व्यक्तिगत गैर-व्यावसायिक उपयोग को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SHEV) एवं प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (PHEV) की क्रय सब्सिडी क्रियान्वित करने की प्रभावी तिथि पर निर्णयः

HLEEVC द्वारा स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SHEV) एवं प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (PHEV) हेतु क्रय सब्सिडी के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश प्रख्यापन की तिथि, अर्थात 11.07.2024 स्पष्ट की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है किः

1. एग्रीगेटर

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MoRTH) द्वारा दिनांक 01.07.2025 को मोटर यान एग्रीगेटर गाइडलाइन, 2025 प्रख्यापित की गयी है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश मोटर यान एग्रीगेटर गाइडलाइन, 2025 का शासन स्तर से प्रख्यापन होना है। इस संबंध में पृथक से निर्देश निर्गत किए जाएंगे।

2. फ्लीट ऑपरेटर तथा अन्य ऑपरेटर श्रेणियाँः

उक्त श्रेणियों से संबंधित आवेदनों की पात्रता, HLEEVC बैठक दिनांक 23.04.2025 में अनुमोदित परिभाषाओं एवं पात्रता दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाए तथा योग्य पाए जाने

पर सब्सिडी अनुमन्य की आए। अपेक्षित दस्तावेजों की चेकलिस्ट परिशिष्ट-1 में संलग्न की गई है। फ्लीट ऑपरेटर्स के प्राप्त आवेदनों में प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि सम्बन्धित फ्लीट ऑपरेटर कम से कम 10 टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर या 05 ई-बस या ई-गुड्स कैरियर का स्वामी हो।

3. SHEV एवं PHEV श्रेणियों हेतु सब्सिडी की प्रभावी तिथिः

स्ट्रांग हाइब्रिड एवं प्लग-इन हाइब्रिड ईवी श्रेणी के वाहनों हेतु क्रय सब्सिडी **दिनाँक 11.07.2024 से** प्रभावी मानी जाएगी, जैसा कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ईवी नीति के अंतर्गत जारी उपरोक्त सभी दिशा-निर्देशों का तात्कालिक, विधिसम्मत एवं समन्वित अनुपालन करना सुनिश्चित करें। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत पात्रता परीक्षण एवं दस्तावेज़ सत्यापन सटीकता एवं पारदर्शिता के साथ किया जाए।

संलग्नकः चेक लिस्ट।

(ब्रजेश नारायण सिंह)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ०सं०:-2390 (1) सा०प्र०/ 2025-समदिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, द्वितीय तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त तकनीकी व्यवस्था इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करायें।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

(डॉ० आर० के० विश्वकर्मा)
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व),
उत्तर प्रदेश।

वाहनों को क्रय सब्सिडी दिये जाने हेतु अपेक्षित प्रलेख (Check List)

अर्हता हेतु अनिवार्य प्रलेख	पात्रता हेतु सांकेतिक प्रलेखों की चेकलिस्ट
• ईवी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) • जीएसटी पंजीकरण • ऑपरेटर के पास बसों एवं कोच की रेंटल सेवाएँ (अनुबंध, परमिट, घोषणा, आदि) • टूर ऑपरेटर सेवाएं (अनुबंध, परमिट, घोषणा, आदि) • निर्धारित स्थानीय बस एवं कोच चार्टर सेवाएं (अनुबंध, परमिट, घोषणा, आदि) • अन्य यात्रा व्यवस्था एवं संबंधित सेवाएं, जो कहीं और वर्गीकृत नहीं है (अनुबंध, परमिट, घोषणा, आदि) • कंपनी/फर्म निगमन प्रमाण-पत्र • वाणिज्यिक उपयोग का प्रमाण (जैसे कि पट्टा अनुबंध, व्यवसाय पंजीकरण अथवा परिचालन प्रमाण-पत्र)	• निगमन/पंजीकरण प्रमाण-पत्र • व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण-पत्र (उद्यम/एमएसएमई) • जीएसटी पंजीकरण (यदि अनुमन्य है) • वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) • फेस-II अनुपालन प्रमाण-पत्र (यदि अनुमन्य है) • व्यवसायिक उपयोग का प्रमाण (अनुबंध, परमिट, घोषणा, आदि) • पैन एवं आधार (व्यक्तियों/स्वामियों हेतु)

....